चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 24.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 24.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). दिनाँक 24.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल, क्षेत्राधिकारी नरैनी बांदा श्री कृष्णकान्त तिवारी की उपस्थितिमें विगत 1 माह से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र प्रताप सिंह, उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह थाना पहाड़ी द्वारा सीतापुर मेला क्षेत्र में श्रावण मास अमावस्या

मेला के अवसर पर दर्शन करने के लिये आये हुये श्रद्धालुओं को हल्का नाश्ता के रूप में पूड़ी सब्जी वितरित किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी थानाध्यक्ष राजापुर श्री यदुवीर सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 23.07.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 185/2017 धारा 302/201/34 व 186/2017 धारा 302/201/34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.अवधेश यादव पुत्र राममूरत निवासी अमान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को सजाएं मौत फांसी की सजा व अभियुक्ता श्रीमती मंटू उर्फ कुसुमकली पत्नी अवधेश यादव निवासी अमान थाना राजापुर जनपद जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.04.2017 को वादी रामचन्द्र यादव पुत्र पिताम्बर यादव निवासी अमान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट (ग्राम चौकीदार) द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 24.04.2017 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 03 लड़कियों व 01 लड़के को मारकर बोरे में रखकर लाशों को छिपाने की नियत से कछुवा नाला अमान में फेक देना इस सूचना पर थाना राजापुर मु0अ0सं0 185/2017 धारा 302/201 भादवि0 बनाम अज्ञात व दिनांक 26.04.2017 को वादी उपरोक्त द्वारा पुनः सूचना दिया गया कि दिनांक 25.04.2017 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक महिला उम्र लगभग 39 वर्ष को मारकर बोरे में रखकर शव को छिपाने के नियत से सुंगधा तालाब में फेंक देना इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 186/2017 धारा 302/201 भादवि0 बनाम अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन व0उ0नि0 श्री संतशरण सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना से प्रकाश में आया कि अवधेश यादव पुत्र राममूरत उपरोक्त द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती मंटू उर्फ कुसुमकली के साथ मिलकर रात में सोते समय 04 बच्चो सहित उसकी माँ की निर्मम हत्या कर शवों को बोरे में भरकर छिपाने की नियत से बच्चों की शवों को कछुवा नाला अमान में तथा बच्चों के माँ की शव को बोरे में भरकर छिपाने की नियत से सुगंधा तालाब अमान में फेक देना पाया गया था। जिसमें मृतका महिला की पहचान बिहार के पटना जिले की माधवपुर निवासी लालमुनि देवी उर्फ रीना देवी पत्नी सत्यानंद के रूप में हुई थी साथ ही मृतक बच्चे रीता, संगीता, गीता व किशुन उसकी संतानें थी। दिनाँक 02.05.2017 को आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 28.07.2017 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।